

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना सं. 25/2017- सीमाशुल्क

नई दिल्ली 28 जून, 2017

सा0का0नि0 (अ)- केंद्रीय सरकार, कराधान विधि (संशोधन) अधिनियम, 2017 (2017 का 18) की धारा 1 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 1 जुलाई, 2017 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के सभी उपबंध प्रवृत्त होंगे।

[फा0 सं0 एस-354/39/2017-टीआरयू]

(मोहित तिवारी)
अवर सचिव, भारत सरकार